न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–129/2015/भीलवाड़ा (2015/00007)

1. कैलाशचन्द शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल, जाति ब्राहम्ण, नि0 घौड़ास, तह0माण्डल जिला भीलवाडा ।

अपीलांट

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल,
2. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वर,
   जाति ब्राहम्ण, नि0 घौड़ास, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 29.7.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 10/2015.

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री एम0एल0 गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांक :– 16.01.2019

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घौड़ास, तहसील माण्डल में कृषि भूमि खसरा संख्या 615, 618, 1081, 1082, 1084, 1424, 2099, 2103, 2104, 2113, 2114, 2115, 2117, 2118, 2449/614 कुल किता 15 कुल रकबा 13–7–00 बीघा भूमि स्थित है जिसमें अपीलांट के चाचा भैरू पुत्र गुलाब अपीलांट एवं रेस्पो0 के साथ सहखातेदार अंकित रहे है । भैरू पुत्र गुलाब की मृत्यु दिनांक 4.4.2015 को हो गई । भैरू पुत्र गुलाब अविवाहित था जिससे विरासत के अनुसार उसके नाम अंकित भूमि भैरूलाल के अन्य भाईयों के नाम अंकित की

जानी चाहिये थी किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कूटरचित तथा फर्जी वसीयत के आधार पर इस भूमि का नामांतकरण स्वंय के नाम वसीयत के आधार पर अंकित करने हेतु तहसीलदार, माण्डल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी किन्तु तहसीलदार ने अपीलांट को सुनवाई व जिरह का अवसर समाप्त कर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, माण्डल को प्रेषित कर दी । तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने दिनांक 29.7.2015 को प्रकरण में निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम वसीयत के आधार पर नामांतकरण पारित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । तहसीलदार, माण्डल द्वारा प्रकरण में न तो विधिवत् कार्यवाही की, न विधिवत् जांच की, मात्र पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट एवं बयानों को अंकित कर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कैम्प में प्रेषित की । तहसीलदार ने गवाहों से जिरह करने का अवसर भी अपीलांट को नहीं दिया। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि भैरूलाल गंभीर रूप से बीमार होने पर दिनांक 29.3.2015 को महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में अपीलांट ने भर्ती कराया था तत्पश्चात् महात्मा गांधी अस्पताल से दिनांक 2.4.2015 को डिस्चार्ज किये जाने पर उदयपुर के महाराणा भौपाल, अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां रात्रि 12.15 बजे दिनांक 4.4.2015 को उनकी मृत्यु हो गई थी जिससे स्पष्ट है कि मृतक भैरूलाल की सेवा–सुश्रुषा अपीलांट द्वारा ही की गई थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने इस तथ्य को नजरअदांज कर केवल मात्र कूटरचित वसीयत को वरीयता प्रदान करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम नामांतकरण के आदेश पारित किये है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि जब भैरूलाल दिनांक 29.3.2015 से लगातार भीलवाड़ा एवं उदयपुर अस्पताल में भर्ती रहे तथा अस्पताल में ही मृत्यु हुई तो दिनांक 1.4.2015 को मुद्रांक विक्रेता से सेशन कोर्ट परिसर में मुद्रांक क्रय करना तथा वसीयतनामा टंकित करवाने का तथ्य कतई गलत है । उक्त तथ्यों से तथाकथित वसीयत कूटरचित एवं फर्जी होना पूर्णतया साबित था । राजस्थान भू–राजस्व अधि0 एवं भू–अभिलेख नियमों के अनुसार वसीयत के जरिये विरासत अंकित करने की प्रार्थना किये जाने पर उक्त प्रकरण धारा 135(2) के तहत होने के कारण तहसीलदार को सुनवाई करने का अधिकार है, उपखण्ड अधिकारी उक्त पत्रावली स्वंय के पास रख कर बिना सुनवाई किऐ जो शक्तियां उनमें निहित ही नहीं थी, उनका उपयोग कर मनमाने रूप से आदेश

पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि राज0भू–राजस्व (भू–अभिलेख)नियम 1957 के नियम 131 (2) के अनुसार विरासत वसीयत के अनुसार क्लेम की जाती है वहां वसीयत की वैधानिकता का परीक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है किन्तु अधी0न्याया0 ने वसीयत की वैधानिकता साबित हुए बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । भूराजस्व (भू–अभिलेख नियम 1957) की धारा 132 के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । अपंजीकृत वसीयत नियमित वाद के द्वारा साबित करने की विषयवस्तु थी । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे अपास्त किया जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2009 पेज 544–550, आर0आर0डी0 1986 पेज 135–137, आर0आर0डी0 1984 पेज 391–392 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

4- अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने वसीयत के आधार पर नामांतकरण पारित करने से पूर्व न तो प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी किया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, अभी हाल में जब प्रार्थी वादग्रस्त भूमि से संबंधित भूमि की जमाबंदी लेने पटवारी के पास गया तो पटवारी द्वारा जमाबंदी की नकल देने पर प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.11.2015 को नकल प्राप्त होने पर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । मृतक भैरूलाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 1.4.2015 को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में विवादित भूमि अपने 1/5 हिस्से की वसीयत की है । रेस्पो0 संख्या1 व 2 द्वारा ही भैरूलाल के जीवनकाल में उसकी सेवा–सुश्रुषा की गई थी तथा मृत्यु उपरांत समस्त सामाजिक क्रियाकम् रेस्पो0 द्वारा ही किये गये थे । तहसीलदार, माण्डल के समक्ष वसीयत को गवाहान से प्रमाणित करवाया गया है । पटवारी हल्का ने अपने पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 18.6.2015 में अंकित किया है कि पूर्व में भैरूलाल की सेवा कैलाशचंद द्वारा की गई लेकिन अंतिम समय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा भैरूलाल की देखभाल की गई थी । वसीयत के गवाहों ने भी अपने बयानों में भैरूलाल द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में वसीयत करना बताया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्थान राज्य में वसीयत को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक नहीं है । यदि अपीलांट वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित मानते है तो वे सक्षम न्यायालय से इस निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है ।

नामांतकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसमें किसी प्रकार के हक निर्धारित नहीं किये जा सकते है। इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 2009 पेज 544, आर0आर0डी0 2002 पेज 201 एवं आर0बी0जे0 (10) 2003 पेज 545 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपास्त करने का निवेदन किया ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू पर किसी भी प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य मृतक भैरूलाल की आराजियात को लेकर विवाद है । विवादित आराजियात के मूल खातेदार भैरूलाल की दिनांक 4.4.2015 को मृत्यू हो होने के उपरांत अपीलांट ने एक आवेदन पत्र दिनांक 16.4.2015 को तहसीलदार के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में भैरूलाल का पांचवा हिस्सा है तथा भैरूलाल अविवाहित फौत हुआ है तथा उसके सगे भाई जीवित नहीं है तथा उनके सगे भाईयों के चार पुत्र है अतः चारो भाईयों के नाम इंतकाल खोलने की कृपा करावे और साथ ही यह भी निवेदन कि यदि किसी की वसीयत आती है तो वह फर्जी तैयार करायी गयी है । उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 6.5.2015 को एक अन्य आवेदन पत्र रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदनकर्ता मृतक भैरूलाल के भाई रामेश्वर के पुत्र होकर मृतक भैरूलाल के भतीजे है। मृतक भैरूलाल ने अपने जीवनकाल में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 1.4.2015 को अपंजीकृत वसीयत निष्पादित की है । अतः उक्त वसीयत के आधार पर आवेदनकर्ता के पक्ष में विवादित आराजियात का नामांतकरण तस्दीक किया जावे । उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार, माण्डल ने उक्त आवेदन पत्र पटवारी हल्का घोड़ास को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये । पटवारी हल्का ने उक्त आवेदन पत्रों के संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में भैरूलाल द्वारा निष्पादित की अंपजीकृत वसीयत की प्रमाणिकता के संदर्भ में पर्चा मौका दिनांक 18.6.2015 को तैयार किया जिसमें मृतक भैरूलाल का सजरा तैयार कर गवाहों के बयान लिये जिसमें गवाहों ने भैरूलाल द्वारा निष्पादित की गई वसीयत को सही बताया है । तहसीलदार एवं पटवारी हल्का ने वसीयत के गवाहान गोपाल शर्मा व भैरूलाल शर्मा के भी बयान लिये है जिन्होंने तथाकथित वसीयत को सही होना बताया है । प्रकरण में जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अपंजीकृत वसीयत के

आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि राजस्थान राज्य में वसीयत का पंजीयन कराये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा ना ही वसीयत को प्रोबेट कराने की बाध्यता है।

8- प्रकरण में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 1.4.2015 की तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा वसीयत के गवाहों तथा अन्य स्वतंत्र गवाहों से प्रमाणिकता सिद्ध कराई गई है जिसे अधि0 न्यायालय ने रिकार्ड पर लेकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। इसी तरह अपीलांट अभिभाषक का यह कथन कि वसीयत दिनांक 1.4.2015 को वसीयतकर्ता स्व0 श्री भैरूलाल होश में नहीं होने के समर्थन मे सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करावाये है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि तथाकथित वसीयत कूटरचित ढंग से तैयार की गई है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से हम सहमत है कि यदि अपीलांट वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित मानते है तो इसे निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये किन्तु अपीलांट द्वारा वसीयत को किसी सिविल न्यायालय में आज दिवस तक चुनौती नहीं दी जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराये है । वैसे भी नामांतकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसमे प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व का निर्धारण नही किया जाता है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । इस संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.7.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

9- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 129/2015 (2015/00007) बउनवानी कैलाशचन्द बनाम सुरेशचन्द को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 10/2015 बउनवान सुरेशचन्द बनाम तहसील माण्डल में पारित निर्णय दिनांक 29.7.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

10- आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.01.17 13:23:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: